प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश दीक्षित पुत्र बांके बिहारी दीक्षित, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रो-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025), दिनांक 08.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश दीक्षित पुत्र बांके बिहारी दीक्षित (दिनांक 19.08.2024 तक बंदी की आयु 46 वर्ष) आदर्श नगर, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। स्कूल के काम में गडबडी के कारण काम से निकाल दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 19/20-07-2010 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से मारकर रामलखन तिवारी व आशीष तिवारी नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा सोने, चांदी तथा 06 लाख रूपये लूटकर अपने साथ ले गये। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-168/2010, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 में मा० विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)/अपर सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 31.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 19.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ने बन्दी द्वारा हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि समय से पूर्व रिहा किया गया और मोहल्ले में वापस आया तो अवश्य ही वादी पक्ष व उसके परिजन अभियुक्त उपरोक्त को देखकर पुरानी बातों को लेकर शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने, भविष्य में अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, गवाहन व वादी पक्ष के लोगो के साथ द्वेषवश कोई घटना कारित करने, समयपूर्व जेल से रिहा किया जाता है तो निश्चित ही मुकदमें से सम्बन्धित गवाहन को बदले की भावना रखते हुये हानि पहुँचा सकता है इस कारण उक्त बन्दी का जेल में ही रहना अति आवश्यक होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में स्कूल के काम में गडबडी के कारण काम से निकाल दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 19/20.07.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से मारकर रामलखन तिवारी व आशीष तिवारी नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा सोने, चाँदी तथा 06 लाख रूपयें लूटकर अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश दीक्षित पुत्र बांके बिहारी दीक्षित को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश दीक्षित (बंदी संख्या-5512/2017) पुत्र बांके बिहारी दीक्षित, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-668/2026/1869(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-668/2026/1869/22-2-2025-17(767)/2025

दिनांक 04 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश दीक्षित पुत्र बांके बिहारी दीक्षित (दिनांक 19.08.2024 तक बंदी की आयु 46 वर्ष) आदर्श नगर, थाना-भरथना, जनपद-इटावा का निवासी है। स्कूल के काम में गडबडी के कारण काम से निकाल दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 19/20-07-2010 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से मारकर रामलखन तिवारी व आशीष तिवारी नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा सोने, चांदी तथा 06 लाख रूपये लूटकर अपने साथ ले गये। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-168/2010, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 411 में मा० विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/अपर सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 31.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 19.08.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ने बन्दी द्वारा हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि समय से पूर्व रिहा किया गया और मोहल्ले में वापस आया तो अवश्य ही वादी पक्ष व उसके परिजन अभियुक्त उपरोक्त को देखकर पुरानी बातों को लेकर शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने, भविष्य में अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, गवाहन व वादी पक्ष के लोगो के साथ द्वेषवश कोई घटना कारित करने, समयपूर्व जेल से रिहा किया जाता है तो निश्चित ही मुकदमें से सम्बन्धित गवाहन को बदले की भावना रखते हुये हानि पहुँचा सकता है इस कारण उक्त बन्दी का जेल में ही रहना अति आवश्यक होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में स्कूल के काम में गडबडी के कारण काम से निकाल दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 19/20.07.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से मारकर रामलखन तिवारी व आशीष तिवारी नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा सोने, चाँदी तथा 06 लाख रूपयें लूटकर अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश दीक्षित पुत्र बांके बिहारी दीक्षित को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in